राजस्व आवेदन संख्या 127/2024
उनवान वरजांगा बनाम रामा वगैरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 127/2024

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वरजांगा पुत्र पेलाद जाति रबारी, निवासी पांडरवाली, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. रामा पुत्र चिमना 2. रावताराम पुत्र तेजाराम 3. वालाराम पुत्र तेजाराम 4. सतुदेवी पत्नि तेजाराम 5. सांवलाराम पुत्र तेजाराम जाति रबारी, निवासी पाडरवाली, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थी वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के वकील – श्री आम्बाराम पूनड़

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12.05.2025

प्रार्थी वरजांगा पुत्र पेलाद जाति रबारी निवासी पांडरवाली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा पाडरवाली, पटवार हल्का भंवरिया के खसरा संख्या 356/189 रकबा 7.4624 हैक्टेयर, खसरा संख्या 357/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर व खसरा संख्या 358/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर के आये हुए है। जिनका मूल खसरा संख्या 189 था, उक्त मूल खसरे का विभाजन होकर अलग तरमीम की गई है। मूल खसरा संख्या 189 का न्यायालय आदेश की पालना में विभाजन प्रस्ताव बनाया गया था, विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शे व मौके से भिन्न तरमीम की गई। तरमीम के नामान्तरकरण के वक्त मौके पर कब्जे–काश्त, ढाणी से भिन्न पटवारी हल्का, भू–निरीक्षक द्वारा नक्शे में गलत तरमीम कर दी। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के कब्जे, ढाणी से भिन्न गलत तरमीम की है। ऐसी सुरत में पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण से मिलावट कर मौके पर कब्जेकाश्त व विभाजन प्रस्ताव में बने नक्शे से भिन्न अच्छी मिट्‌टी वाली भूमि पर अप्रार्थीगण की तरमीम कर दी तथा धोरे की जमीन मेरे तरमीम कर दी, नक्शे में की गई तरमीम गलत व भिन्न की गई है जिससे बिना विधिक प्रकिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अपनाए की गई तरमीम कब्जे, बंट के विपरित किया इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी होने से मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, माठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करवाने का प्रार्थी हकदार होने से नक्शा दुरुस्त का प्रार्थना पत्र पेश है। तरमीम के वक्त मौके पर कब्जे काश्त से व विभाजन प्रस्ताव के नक्शे से भिन्न तरमीम अवैध रूप से लिपिकीय त्रुटि से किया गया है, जिससे उक्त लिपिकीय भूल को दुरुस्त करवाने का प्रार्थी कानूनी हकदार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में तरमीम गलत अंकन होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कृषि ऋण लेने के लिए, अपने खेत की नेखमबंदी करवाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर कब्जेकाश्त, ढाणी, मांठ अनुसार रेकर्ड दुरुस्ती करवाने के विधि सम्मत अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त नक्शा त्रुटि की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी, अभी अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेत की नेखमबंदी करवाने का निर्णय करवाकर मौके पर नेखमबंदी करने के नोटिस आने पर जानकारी होने से नकले इत्यादि लेने से जानकारी में आने से प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है। सरहद मौजा पाडरवाली, पटवार हल्का भंवरिया के खसरा संख्या 356/189 रकबा 7.4624 हैक्टेयर, खसरा संख्या 357/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयरव खसरा संख्या 358/189 रकबा 10.7808 हैक्टर का मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, माठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरुस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए गए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्रीआम्बाराम पूनड़ ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।।हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/2084 दिनांक 05.08.2024 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2024/2756 दिनांक 28.08.2024. द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 28.08.2024 के अनुसार **''राजस्व रेकर्ड में ग्राम पाण्डरवाली के खसरा संख्या 356/189 रकबा 7.4626 हैक्टेयर, खसरा संख्या 357/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 358/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर की** तरमीम दुरुस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट मौका रिपोर्ट में राजस्व रेकर्ड व लट्ठा नक्शा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

भू–नक्शा में तरमीम का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पाण्डरवाली के मूल खसरा संख्या 179.06 बीघा भूमि का माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 215 / 2000 निर्णय दिनांक 18.10.2002 के अनुसार डिक्री का विभाजन किया गया जिसका ग्राम पाण्डरवाली के नामान्तरकरण संख्या 269 दिनांक 01.08.2003 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है–ग्राम पाण्डरवाली नाम खातेदार तेजा पुत्र बादरा कौम रबारी रकबा 66.12 बीघा, तेजाराम, रामा पिता चिमना कौम रबारी रकबा 66.12 बीघा व बरजांगाराम पुत्र पैलाद कौम रबारी रकबा 46.02 बीघा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर दिया गया लेकिन लट्ठा नक्शा में तरमीम मा0न्यायालय के निर्णयानुसार नहीं कर लिपिकीय त्रुटि से गलत कर दी गई। मौके पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं एसडीओ गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 18.10.2002 के अनुसार प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के काश्त कब्जे, रहवासी ढाणियां व अन्य पक्के निर्माण का ध्यान में रखते हुए मौका का तरमीम दुरुस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा तरमीम परिशिष्ठ 'ब' तैयार किया गया, जो साथ सलग्न हैं। तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार ग्राम पाण्डरवाली के खसरा संख्या 356 / 189, 357 / 189, 358 / 189 तरमीम दुरुस्ती किये जाने की उपर्युक्त खसरों के समस्त खातेदारों ने सहमति की गई। उक्त मौका फर्द प्रार्थी, विप्रार्थी एवं मौके पर उपस्थित मुखिया मौतबरान को पढकर सुनाई गई। सभी ने सुन समझ कर पढकर अपने हस्ताक्षर एवं अगुष्ठ किये गये। जो फर्द का अभिन्न अंग है।''

वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के वकील उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 127 / 2024 उनवान वरजांगा बनाम रामा वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय पत्र क्रमांकः भू.अ. / 2025 / 2756 दिनांक 28.08.2024 द्वाराप्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी वरजांगा पुत्र पेलाद जाति रबारी निवासी पांडरवाली तहसील सेड़वा द्वारा प्रस्तुतप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीव विप्रार्थीगण की खाते... भू. मौजा पांडरवाली पटवार क्षेत्र भंवरिया भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अभिलेख निरीक्षक बाखासर तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 356/189 रकबा 7.4624 हैक्टेयर, खसरा संख्या 357/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर व खसरा संख्या 358/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर किस्म बा. दो. भूमि में लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई गलत तरमीम एवं मौके पर कब्जा–काश्त व संलग्न परिशिष्ट 'ब' में दर्शाये अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं।तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2024/2756 दिनांक 28.08.2024 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.08.2024, परिशिष्ट 'ब', खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:44 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द

आज दिनांक 16/08/2024 को मैं श्रीमान तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/2610 दिनांक 07/08/2024 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन संख्या सं. 127/2024 अनवान बरजांगा बनाम रामा वगैरा अन्तर्गत 131, 136 RLR Act में ग्राम पाण्डरवाली के खसरा न. 356/189 रकबा 7.4626 हैक्टेयर, खसरा न. 357/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर, व खसरा न. 358/189 रकबा 10.7808 हैक्टेयर की तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु श्री जगराम पटवारी भंवरिया के साथ मौके पर पंहुचा।

मौके पर राजस्व रेकर्ड व लट्ठा नक्शा में व भू-नक्शा में तरमीम का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पाण्डरवाली के मूल खसरा न. 179 - 06 बीघा भूमि का माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी के राजस्व वाद सं 215/2000 निर्णय दिनांक 18-10-2002 के अनुसार डिक्री का किराजरा किया गया जिसका ग्राम पाण्डरवाली के नामान्तरकरण सं. 269 दिनांक 01/08/2003 को के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम सं.	नाम ग्राम	ना खातेदार	ख.न.	रकबा (बीघा)
1.	पाण्डरवाली	तेजा पुत्र बादरा कौम रबारी		66-12
2.		तेजाराम, रामा पिता चिमना कौम रबारी		66-12
3.	पाण्डरवाली	बरजांगा पुत्र पैलाड कौम रबारी		46-02

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया लेकिन लट्ठा नक्शा में तरमीम मा. न्यायालय के निर्णयानुसार नहीं कर लिपिकीय त्रुटि से गलत कर दी गई। मौके पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं SDO गुड़ामालानी के निर्णय दिनांक 18-10-2002 ... प्रार्थी एवं विपक्षीगण के काश्त कब्जे, रहवासी ... निर्माण का ध्यान में रखते हुए मौका का तरमीम दुरस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा तरमीम परिशिष्ट 'ब' तैयार किया गया जो साथ संलग्न है—

तरमीम दुरस्ती हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब'

सुपुर्द कार्ट

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:44 IST
Reason: SelfAttested

के अनुसार ग्राम पाण्डरवाली के खसरा नं० 356/189, 357/189, 358/189 तरमीम दुरस्ती किये जाने की उपरोक्त खसरों के समस्त खातेदारों ने सहमति दी गई।

उक्त मौकाफर्द खाली, बिजली एवं मौके उपस्थित मुखिया मौतबरान को पढ़कर सुनाई गई। सभी ने सुन-समझ कर, पढ़कर अपने हस्ताक्षर एवं अंगूठा किये गये।

बाला।

16/08/24
पटवारी कपरिया

16-08-2024
ILR-बारखारा

अं० गजनाराम/चिमनाराम

अं० वरजाराम/पेमाराम

बादलराम/तेजाराम

सावलाराम

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

सतुदेवी/तेजाराम

जगमालराम

नानी

आदम

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:44 IST
Reason: SelfAttested

अं० किशनाराम/पुनमाराम

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

आ० कम्मा ग्राम पांडरवाली तहसील सेड़वा जिला-बाड़मेर
पैमाना 1:50-20 गट्ठा वर्तमान राजस्व रेकर्ड मनुसार
नक्शा परिशिष्ट (अ)

माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी सेड़वा राजस्व आवेदन न. 127/2024
मनवान बरजांगा बनाम रामा वगैरा में अन्तर्गत धारा 131, 136 R.L.R. Act में तरमीम
दुरस्ती हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट 'ब'

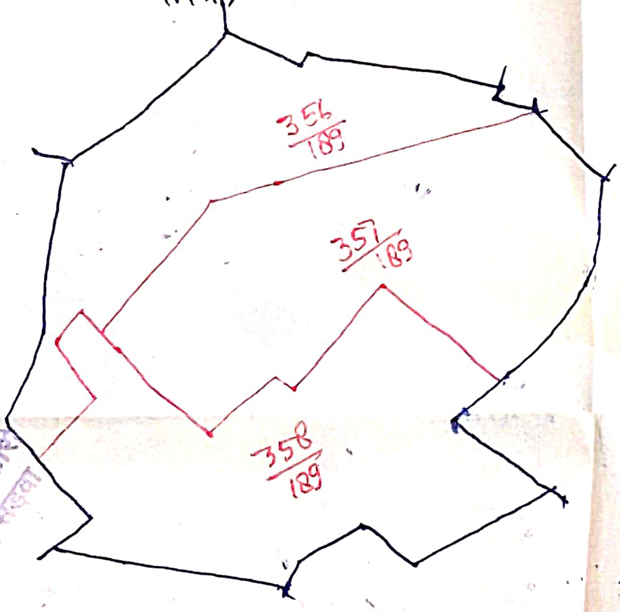

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

दिनांक
16/8/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.07.04 14:43:44 IST
Reason: SelfAttested

जानी
आदम
रसूल
ओमप्रकाश